BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 128 /2024/EZ

(Previously Original Application No. 593/2024/PB)

NEWS ITEM TITLED " IS SAAL BHEE NEELAMEE KE AASAR NAHI GHATON PAR MAAFIYAO KA KABZA; DHANBAD MEI DHADALLE SE JAARI HAI BAALU TASKAREE" APPEARING IN LIVEHINDUSTAN.COM DATED 12.04.2024 **...Applicant**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed on behalf of Deputy Commissioner, Dhanbad, Government of Jharkhand.	1 - 5
2.	Verification	6 - 7
3.	Annexure A Series	8 - 18
4.	Annexure B Series	19 - 21
5.	Annexure C	22 - 26

AISHWARYA RAJYASHREE
Advocate
Bar Association Room No. 5,
High Court, Calcutta
Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,
Kolkata: 700001.
(M)9874995669
Email: advaish.hc@gmail.com

NOTARY DHANBAD

SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

ORIGINAL APPLICATION NO. 128 /2024/EZ

(Previously Original Application No. 593/2024/PB)

NEWS ITEM TITLED " IS SAAL BHEE NEELAMEE KE AASAR NAHI GHATON PAR MAAFIYAO KA KABZA; DHANBAD MEI DHADALLE SE JAARI HAI BAALU TASKAREE" APPEARING IN LIVEHINDUSTAN.COM DATED 12.04.2024 ...Applicant

Sl.No......69.....Dt..... 16 JUL 2024

COUNTER AFFIDAVIT FILED BY DEPUTY COMMISSIONER, DHANBAD, GOVERNMENT OF JHARKHAND (i.e. RESPONDENT NO. 3 HEREIN).

I, Mihir Salkar, son of Late Bibhuti Salkar, aged about 32 years, by Religion - Christian, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Officer, Dhanbad, Government of Jharkhand, having its office at Combined Building, Dhanbad, Jharkhand, Pincode – 826001 do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the District Mining Officer, Dhanbad and I am aware to the facts in the instant case and as such I am competent to make and affirm the instant Counter Affidavit on behalf of the Deputy Commissioner/District Magistrate, Dhanbad, Jharkhand.

MEENA TIWARI NOTARY Regd. No. 10316/13 Govt. of India DHANBAD, JHARKHAND

2. That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.

3. That in pursuance and in compliance to the order dated 24.05.2024 of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench in the instant matter this Counter Affidavit is being filed on behalf of Deputy Commissioner, Dhanbad, Government of Jharkhand i.e. respondent no. 3 to the Original Application.

4. That the answering respondent herein state and submit that the District Survey Report of Sand Mining in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (SSMG-2016) and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM-2020) has been prepared by the Sub Divisional Committee of the Dhanbad District, and the approval of which has been granted by the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Jharkhand vide letter no. - 08 dated 02.04.2023 of Member Secretary, SEIAA, Jharkhand.

The Operation of Sand Ghats in the State of Jharkhand is governed by the Jharkhand State Sand Mining Policy-2017 under which the sand ghats have been categorized as Category-1 and Category-2.

The sand from Category-1 sand ghat can be used only for non-commercial purposes such as domestic purposes, Community purposes, Government Sponsored Schemes, etc., or as defined in Appendix-IX of Part-II-Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF & CC,

MEENA TIWARI NOTARY Regd. No.: 10316/13 Govt. of India DHANBAD, JHARKHAND

Government of India New Delhi dated 15th January 2016. The sand deposits of Category-2 are managed by the Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited (JSMDC) which is used for commercial purposes.

As per the approved DSR (Sand), there are 16 Category-1 and 10 Category-2 sand ghats in Dhanbad district. The order for operationalization of 16 Category-1 Sand ghats has been issued vide memo no.-542/M dated 20.04.2023 of the Deputy Commissioner, Dhanbad, and the 10 Category-2 sand ghat will be operated by JSMDC.

A copy of letter no. - 08 dated 02.04.2023 of Member Secretary, SEIAA, Jharkhand, the Jharkhand State Sand Mining Policy - 2017 and memo no.-542/M dated 20.04.2023 are attached here and collectively marked as **Annexure A series**.

5. A district level task force committee under the Chairmanship of the Deputy Commissioner is constituted vide memo no. - 563, dated 05.10.2005 of the Department of Mines and Geology, Government of Jharkhand to take action against illegal mining, transportation, and storage of minerals within the district. The action taken by the task force against illegal mining, transportation, and storage of mineral sand under the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, rules made therein and under Indian Penal Code in the last 03 years are as follows:-

MEENA TIWARI NOTARY Regd. No.: 10316/13 Govt. of India DHANBAD, JHARKHAND

Year	Vehicles Seized	No. of FIRs lodged	Fine realized under rule 54(5) of Jharkhand Minor Minerals Concession (JMMC) rules, 2004 (in Lakhs)	Remarks
2022	183	32	30.34	8,51,555 cft of sand has been seized and confiscated by the Court of Deputy Commissioner, Dhanbad
2023	113	22	18.20	2,00,000 cft of sand has been seized and confiscated by the Court of Deputy Commissioner, Dhanbad.
2024 (Upto June)	89	19	18.95	1,00,000 cft of sand has been seized and forwarded to the Court of Deputy Commissioner, Dhanbad for confiscation.

6. That vide office letter no. 2329 dated 17.08.2022 direction has also been issued to the Regional Officer, Dhanbad to take necessary action under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against the illegal transporting and storage of sand minerals during the monsoon period. That vide office memo no 1078 dated 14.06.2024 necessary

MEENA TIWARI NOTARY DHANBAD, JHARKHAND

order/direction for curbing illegal mining/transportation/storage of minerals has been given to all sub-division level officers, circle level officers, and *thana prabharis*.

A copy of office letter no 2329 dated 17.08.2022 and office memo no 1078 dated 14.06.2024 are attached here and collectively marked as **Annexure B series**.

7. That for checking for illegal transportation of sand during the monsoon period 09 checkgates have been established vide office memo no. 1079 dated 14.06.2024 throughout the district. Magistrates along with police force have been deputed at checkgates to stop the illegal transportation of sand.

   A copy of office memo no. 1079 dated 14.06.2024 is attached here and marked as **Annexure C**.

8. That the answering respondent seeks leave to file any further affidavits, if required, as per the direction of the Hon'ble Court.

9. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordships, may kindly be pleased to accept the instant affidavit.

10. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 2 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 3 to 7 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.

MEENA TIWARI NOTARY Regd. No.- 1031613 Govt. of India DHANBAD, JHARKHAND

VERIFICATION

I, Mihir Salkar, son of Late Bibhuti Salkar, aged about 32 years, by Religion - Christian, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Officer, Dhanbad, Government of Jharkhand, having its office at Combined Building, Dhanbad, Jharkhand, Pincode - 826001, and that I am dealing with the connected records of the case in possession of the office of Deputy Commissioner, Dhanbad, Government of Jharkhand.

Date: 16.07.2024

Place: Dhanbad

mihir Salkar

Signature

Identified by me:

Advocate

16/7/24

T. K. SARKAR (Adv.)
ENo 2202/2000

MEENA TIWARI NOTARY Regd. No.-10316/13 Govt. of India DHANBAD, JHARKHAND

16/07/2024

NOTARY
DHANBAD
Authorised.
U/S 297 (I) (C) of the Cr.P.C. 1973
(Act No. 11 of 1974) & u/s (8) (I)
(Act No. 53 of 1952)

523 Welfare Ticket Not Available

ADVOCATES CLERK WELFARE FUND ₹5

MEENA TIWARI NOTARY Regd. No.- 10316/13 Govt. of India DHANBAD, JHARKHAND

EQUALITY, LIBERTY AND JUSTICE

सत्यमेव जयते

DHANBAD BAR ASSOCIATION

MEENA TIWARI NOTARY Regd. No.- 10316/13 Govt. of India DHANBAD, JHARKHAND

ENRL. NO. 2414/03

39562

DHANBAD BAR ASSOCIATION

Annexure A Series

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखण्ड
State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand
पौधशाला परिसर, धुर्वा, बस स्टैण्ड के समीप, पो0+थाना–धुर्वा, राँची झारखण्ड 834004
ई–मेल chr-seiaajhr@gov.in एवं msseiaa.jhk@gmail.com; वेबसाइट www.jseiaa.org

4778
4479
8/04/23

पत्रांकः– 08 दिनांकः– 02.04.2023

प्रेषक:

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण (SEIAA), झारखण्ड।

खनन

सेवा में,

उपायुक्त,
जिला : धनबाद।

12.04.23

विषय : धनबाद जिला का बालू खनिज से संबंधित DSR के अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग : आपका कार्यालय का पत्रांक–328 / खनन, दि0–03.03.2023।

महाशय

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.03.2023 द्वारा धनबाद जिला का बालू खनिज से संबंधित DSR की एक प्रति अनुमोदन हेतु दिनांक 10.03.2023 को SEIAA कार्यालय में समर्पित किया गया।

तदनुसार SEAC, झारखण्ड की 102वीं बैठक दिनांक 21.03.2023 से दिनांक 25.03.2023 में Shri Mihir Salkar, DMO, Dhanbad and Mrs. Reena Kumari Oreya, Assistant Director, Geology, Bokaro & Dhanbad की उपस्थिति में M/s Atmos Sustainable Solution Pvt. Ltd., Noida, U.P. consultant द्वारा दिनांक 21.03.2023 में SEAC के समक्ष Presentation दिया गया जिसमें DSR के Salient Features निम्नवत् बताये गये :–

1. The final DSR submitted is duly signed by all members of the Sub Divisional Committee and the Consultant. All the pages of the DSR are signed by the authorized officer of the Sub Divisional Committee.
2. The final DSR consists of the complete potential area and is demarcated as Potential Resource Area (PRA) / Sand Leases / Ghats as per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM), 2020.
3. The replenishment study of pre & post monsoon period is included in final DSR.
4. The final DSR has been placed in the public domain for 01 (One) month from the 30.12.2022. As per the Sub Divisional Committee no comments / observations were obtained.
5. Demand and supply of the river bed material has been provided. The future demand for next 05 years is included in the final DSR.
6. The PRA / Sand Leases / Ghats have not been proposed on the confluence / meanders / concavities /active channels of the river.

7. Khata & Khasra numbers of lease area certified by the concerned Circle Officer (CO) are incorporated in the final DSR.

8. The distance of PRA / Sand Leases / Ghats from the Forest / Wildlife Protected area / Birds Sanctuary/ Wildlife Sanctuary / National Park / Eco Sensitive Zone has been verified and certified by the concerned DFOs of the respective Territorial and Wildlife division.
9. A report detailing the presence of aquatic animal in the river in proximity of the proposed PRA / Sand Leases / Ghats is included in the final DSR.
10. The proposed PRA / Sand Leases / Ghats meet the siting criteria of State Pollution Control Board / SEIAA.
11. High resolution color satellite images of the proposed potential sand mining areas are included in final DSR.
12. Bulk density and specific gravity of sand sample data has been provided by NABL accredited laboratory.
13. Cluster and contiguous cluster formation as per EMGSM guidelines, 2020 has been included in the Annexures.
14. Mining is restricted to 3/4th of the river width and 60% of the mineable reserve.
15. Transportation routes for movement of sand are provided in the final DSR.
16. All the annexures as per EMGSM guidelines, 2020 are included in the final DSR.
17. An undertaking with reference to Point no. 9.3 of the EMGSM guidelines, 2020 regarding monitoring of mining near inter-district or inter-state boundary has been provided.
18. The representative of the Sub Divisional Committee along with the Consultants have affirmed that all the guidelines of EMGSM guidelines, 2020 / Hon'ble Apex Court in Civil Appeal no. 3661-3662/2020, Pawan Kumar vs State of Bihar & ors, Hon'ble NGT in O.A. no. 54/2022/EZ, Bhumi Adhigrahan Visthapan Avam Punarvas Kisan Samiti vs State of Jharkhand & ors have been followed in preparation of the final DSR.

SEAC द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सर्वसम्मति से आपके द्वारा समर्पित DSR को अनुमोदन हेतु SEIAA को अपनी अनुशंसा भेजी गयी।

SEAC की DSR Dhanbad को अनुमोदन हेतु भेजी गयी अनुशंसा के आलोक में SEIAA, झारखण्ड की 103वी बैठक दिनांक 01.04.2023 एवं दिनांक 02.04.2023 में विचार किया गया।

विचारोपरांत SEAC द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में SEIAA द्वारा सर्वसम्मति से धनबाद जिला का बालू खनिज से संबंधित DSR का अनुमोदन किया गया।

धनबाद जिला का बालू खनिज से संबंधित अनुमोदित DSR की एक मूल प्रति अत्र–सह–संलग्न कर आपको अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

<u>अनु० यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

04/07/2023

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), झारखण्ड।

सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 581 **27 shrawan, 1938 (S)**

Ranchi, Friday, 18th AUGUST, 2017

Department of Industries, Mines and Geology

Notification

16 AUGUST, 2017

No. Kha. Ni. (Vividh)-67/2017-1905-- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Governor of Jharkhand exercises power to notify following policy:-

JHARKHAND STATE SAND MINING POLICY - 2017

Sand is a very important minor mineral. It is closely connected with the basic need of the common people and plays a vital role in the infrastructural development of the State.

Under Jharkhand Minor Mineral Concession Rule, 2017 sand is placed in schedule-II and is regulated and governed by Rule 12. In compliance of the Supreme Court ruling of Deepak Kumar v/s State of Haryana etc. (Special Leave Petition (C) No. 19629 of 2009 and Interlocutory Application No. 12-13 of 2011), and subsequent MoEF&CC Guidelines, the State has made certain amendments in the year 2014 and later in February 2017. However it was felt that there is a need for an environmentally sustainable and social centric comprehensive sand mining policy which will fulfil the developmental needs of the State as well as regular and adequate supply of sand at a reasonable price for the common people of the State.

Therefore, with a view to achieve these objectives, after detailed, careful examination, consultations and consideration of various aspects, the Government has introduced a comprehensive ***Jharkhand State Sand Mining Policy 2017,*** which will broadly and effectively guide sand mining in the State in an environmentally sustainable and socially responsible manner.

The salient features of Jharkhand State Sand Mining Policy 2017 are as follows:-

1. Preparation of District Survey Report:-

a. A District Survey Report for each district shall be prepared by the committee headed by Deputy Commissioner-cum-Chairman DEIAA, as envisaged in Para 7 (iii) of Part –II – Section -3-Sub Section (ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016.
b. The State shall issue necessary guidelines or directives as and when required for an effective preparation of District Survey Report.

2. Categorization of Streams/Rivers:

a. Identification of the sand available in different order of streams such as 1^{st}, 2^{nd}, 3^{rd}, 4^{th}, 5^{th} order or more shall be carried out by the District Survey Committee based on its size and capacity.
b. Based on District Survey Report the Survey Committee shall categorize the sand in 1^{st} order and 2^{nd} order stream/river as Category-1 and 3^{rd} order and above as Category-2.
c. However, based on recommendation of District Survey Committee and depending upon local conditions/requirements, the State may review and change the positioning of a particular order of stream/river into a particular category of Category-1 or Category-2.

3. Management of Sand Deposits of Category-1 Streams/Rivers:

a. The sand deposits of Category-1 stream/rivers will be kept fully free from domain of grant of mining lease.
b. The sand from this category can be used only for non-commercial purposes such as domestic purpose, Community purposes, Government Sponsored Schemes etc. or as defined in Appendix – IX of Part–II–Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India New Delhi dated 15 January, 2016.
c. Gram Panchayat/Local Self Government shall be responsible for supervision of sand collection from such area.
d. There shall be no transfer or subletting of the sand deposits from these Streams/Rivers.
e. The sand from these Streams/Rivers shall be free from any taxes, royalty or levy.

f. For the purpose of maintenance of the approach road, management, supervision etc. a nominal *Maintenance Charge* shall be levied by Gram Panchayat/Local Self Government per unit volume of sand lifted/collected/dispatched, as per the rate decided by Department of Industries, Mines and Geology, Government of Jharkhand.

g. It shall be responsibility of Gram Panchayat/Local Self Government to ensure that sand from these deposits is not used for any commercial purposes and to regulate the same, a receipt-cum-dispatch challan will be issued by the Gram Panchayat/Local Self Government in the format as prescribed by the State.

h. The maintenance charge so collected shall be deposited in the account of Gram Panchayat/Local Self Government.

i. The book keeping of this account shall be maintained by Gram Panchayat/Local Self Government according to prevailing rules and guidelines of the Gram Panchayat/Local Self Government.

j. Under no circumstances the sand shall be allowed to be stored from these Streams/Rivers.

k. As mentioned in para 7-(i)-(B) of Part–II–Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016 such usage of sand shall be exempted from environmental clearance.

l. This shall be the responsibility of the Gram Panchayat/Local Self-Government to restrict sand mining in prohibited areas as directed by the Department.

m. Under no circumstances mechanized lifting of sand shall be allowed from these category of streams/rivers.

n. The Deputy Commissioner shall put in place proper administrative/enforcement mechanism to ensure no commercial/illegal extraction of sand from these orders of streams/rivers.

4. Management of Sand Deposits of Category-2 Streams/Rivers:-

a. The Sand deposits of Category-2 shall be managed by State Government through Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited (JSMDC).

b. All the sand deposits in Category-2 shall be allocated to JSMDC for a minimum period of 5 years or more as decided by the Government.

c. Sand shall be sold by the JSMDC on commercial basis.

d. The sale price of sand shall be decided by JSMDC in consultation with the Government.

e. JSMDC shall obtain all clearances such as Environmental Clearance, Mining Plan or any other statutory requirements for sand mining, storage and sale.

f. JSMDC shall ensure compliance of all applicable rules, regulations, guidelines, directives of honourable courts etc.

g. JSMDC shall ensure that no Sand mining is carried out in any such zone or depth as prohibited under MoEF&CC Guidelines.

h. JSMDC shall adopt scientific and sustainable mining practices and shall ensure a transparent, fair and effective delivery system.

i. JSMDC shall adopt appropriate technology such as RFID/GPS tracking of vehicles, CCTV surveillance, central monitoring, cashless online sale etc. to prevent illegal mining and transportation of sand.

j. State shall reimburse the entire expenditure incurred by JSMDC for operation and maintenance of sand ghats and also pay suitable agency commission as fixed by the Government.

The Government may review the Sand Mining Policy in future as and when required and issue Guidelines or Amendments accordingly.

By order of Governor of Jharkhand,

Sunil Kumar Barnwal,
Secretary of Government.

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 581-- 50.

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

(खनन शाखा)

आदेश

राज्य अन्तर्गत बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के प्रावधानों अनुसार किया जाना है। धनबाद जिलान्तर्गत बालू उत्खनन हेतु तैयार किये गये जिला सर्वेक्षण रिर्पोट (DSR) में उक्त पॉलिसी के अनुसार Category-I एवं Category-II बालू घाटों का चयन किया गया है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिर्पोट (DSR) को अनुमोदन करते हुए उसकी सूचना सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 08, राँची, दिनांक 02.04.2023 से प्राप्त है। जिलान्तर्गत कुल 16 Category-I बालू घाटों का चयन Empanelled Agency द्वारा किया गया है, जिसकी सूची अनुलग्नक–**'क'** में संलग्न।

संचालन

2. खान आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– खा0नि0(विविध)–169/2017/219/एम0, दिनांक 24.01.2018 (अनुलग्नक–**'ख'**) द्वारा Category-I अन्तर्गत पड़ने वाले बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका–03 के अनुसार ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा समिति द्वारा किये जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके संचालन हेतु प्रखंड स्तरीय समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे :–

(1) संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी (अध्यक्ष),

(2) संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,

(3) संबंधित अंचल निरीक्षक।

संबंधित अंचल अधिकारी को अपने क्षेत्रन्तर्गत पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी नामित किया जाता है, वे चयनित Category-I बालूघाट को सीमांकन एवं रेखांकित करने का कार्य करेंगे। उक्त कार्य हेतु आवश्यक सहयोग सहायक निदेशक, भूतत्व, बोकारो प्रदान करेंगे।

3. पंचायत स्तर पर बालू घाटों का संचालन हेतु गठित समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे :–

(1) मुखिया (अध्यक्ष)

(2) उप मुखिया,

(3) पंचायत सचिव,

(4) पाँच सदस्यीय सदस्य शामिल रहेंगे।

क्रमांक 4 के सदस्य The Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 की धारा 71 के तहत् गठित स्थायी समिति, सार्वजनिक सम्पदा समिति के तहत् क्रियाशील रहेंगे।

शर्त्ते

3. बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए होगा। इन बालू घाटों में बालू के उठाव के लिए किसी भी परिस्थिति में मशीन, पोकलेन, जे0सी0बी0 आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा बालू के परिवहन के लिए ट्रेक्टर को छोड़कर किसी भी अन्य भारी वाहन, हाईवा, ट्रक आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इन बालू घाटों से बालू का उठाव कर उसका भण्डारण नहीं किया जायेगा।

4. Category-I में पड़ने वाले बालूघाटों को तथापि Para 7-(1)-(B) of Part-II Section-3 Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF & CC, Government of India, New Delhi, dated-15, January, 2016 (अनुलग्नक–**'ग'**) के आलोक में पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से छूट रहेंगी, फिर भी ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत शासन की यह जबावदेही होगी कि वह सिर्फ चयनित/रेखांकित क्षेत्र (DSR के अनुसार) से ही बालू का उठाव करेंगे।

5. बालू घाटों से उठाये गये बालू किसी भी प्रकार के स्वामित्व कर आदि से मुक्त होगा। बालू घाटों के पहुँचपथ, प्रबंधन, पर्यवेक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित संधारण राशि ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत शासन द्वारा लिया जायेगा, जो कि 100 रूपये प्रति 100 घनफीट सरकार द्वारा निर्धारित है। इस प्रकार एकत्र राशि का उपयोग संधारण, अंकेक्षण आदि The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार किया जयेगा।

6. बालू प्राप्तकर्त्ता को एक प्राप्ति–सह–संचालन स्लिप ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत किया जायेगा, उक्त कार्य हेतु पंचायत स्तरीय समिति अपने किसी सदस्य को प्राधिकृत करेंगे एवं इस संदर्भ में संबंधित अंचल अधिकारी को पूर्व में ही सूचित करेंगे। "प्राप्ति–सह–परिचलन स्लिप" का तीन प्रतियों में संधारण किया जायेगा (अनुलग्नक–**'घ'** में संलग्न)। जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन के पास, एक प्रति बालू खनिज प्राप्तकर्त्ता के पास तथा एक प्रति प्राधिकृत पर्यवेक्षण (अंचल अधिकारी) के लिए होगा। प्राप्ति–सह–परिचलन स्लिप को तीन प्रतियें में क्रमांक में संख्या (Sl. No) के साथ छपवाते हुए संबंधित पंचायत को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

7. बालू घाट से प्राप्त राजस्व का अलग से बैंक खाता खोलकर संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। बालू से प्राप्त होने वाली संधारण राशि कोष में जमा करने की जिम्मेवारी संबंधित पंचायत सचिव की होगी।

8. मानसून काल में माननीय NGT के आदेश व खनन, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार प्रतिबंधित अवधि में किसी भी परिस्थिति में बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं होगा। Sustainable Sand Mining Management Guidlines, 2016 के Appendix: Table- 9 के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए यह अवधि प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक है।

9. सभी संबंधित ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष The Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 के धारा 81 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत यह सुनिश्चित करायेंगे कि Category-I बालू घाटों से बालू का अवैध उठाव न हो।

10. संबंधित पंचायत स्तर समिति उत्खनित बालू की मात्रा, समाहरण की गई राशि की विवरणी इत्यादि का प्रतिवेदन (प्रतिमाह) अगले महीने की 10 वीं तारीख तक अंचल अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद एवं जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद को अनुलग्नक–**'च'** में संलग्न प्रपत्र में समर्पित करेंगे।

11. पंचायत स्तर समिति द्वारा बालू प्राप्ति हेतु आवेदनों का एक पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें बालू उठाव से संबंधित विवरणी इद्रांज की जाएगी तथा उक्त पंजी में प्रविष्टि करने के पश्चात ही किसी ट्रेक्टर को बालू उठाव हेतु घाट में जाने की अनुमति दी जाएगी। पंजी का नमूना अनुलग्नक–**'छ'** में संलग्न। बालू प्राप्ति हेतु आवदेक द्वारा आवेदन मुखिया/उपमुखिया या पंचायत सचिव को समर्पित किया जायेगा। यथा आवश्यक विशेषतः सरकारी योजनाओं में बालू की आवश्यकता से संबंधित बालू प्राप्ति हेतु आवेदन उक्त पंचायत स्तरीय समिति के अतिरिक्त संबंधित अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी दिया जा सकेंगा, जो कि आवश्यक कार्रवाई हेतु पंचायत स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जा सकेगा।

12. इन बालू घाटों से बालू का उठाव की अधिकतम गहराई स्थानीय परिस्थिति भौगोलिक संरचना के आधार पर पंचायत स्तर समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो 03 मीटर से अधिक नहीं होगा। बालू घाटों पर एक समय पर अत्यधिक ट्रेक्टरों का जमावड़ा नहीं लगे इस संबंध में स्थानीय परिस्थिति भौगोलिक संरचना के आधार पर पंचायत स्तर समिति द्वारा संख्या निर्धारित की जाएगी, जो 10 से अधिक नही होगा।

13. प्रखण्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय समिति अपने क्षेत्रन्तर्गत Category-I बालू घाटों का प्रचार–प्रसार करेंगे एवं उपयोगिता के संदर्भ में आमजनों को अवगत करायेंगे। प्रखण्ड स्तरीय समिति एवं पंचायत स्तरीय समिति सभी पंचायत भवनों में एवं अंचल व प्रखण्ड कार्यालय में Category-I बालू घाट के विवरण को अंकित Wall painting कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. रात्रि (सूर्यास्त से सूर्योदय तक) में संबंधित बालू घाटों से बालू उठाव पर प्रतिबंध रहेगा।

15. संबंधित पंचायत स्तर समिति अपने Category-I बालू घाट पर एक नामपट्ट निम्निलिखित सूचनाओं के साथ प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

i Category-I बालू घाट का नाम, अंचल, मौजा, खाता, प्लॉट एवं रकवा।

ii ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का नाम एवं मोबाईल नम्बर।

iii अबतक कुल निष्काशित खनिजों का आयतन।

iv पर्वेक्षण पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर।

16. उपरोक्त किन्हीं शर्त्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित पंचायत स्तरीय समिति एवं संबंधित मुखिया की जबावदेही तय करते हुए प्रभावी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकेंगी।

17. Category-I बालू घाटों में समय–समय पर खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य कोई विभाग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची, एवं मननीय NGT द्वारा बालू घाटों के संचालन के संर्दभ में निर्गत आदेश स्वतः लागू होंगे।

18. Category-I बालू घाटों का संचालन हेतु The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के सभी शर्त्ते लागू होंगे, जो निम्न प्रकार है:–

3. Management of Sand Deposits of Category-1 Streams/Rivers:

a. The sand deposits of Category-1 stream/rivers will be kept fully free from domain of grant of mining lease.

b. The sand from this category can be used only for non-commercial purposes such as domestic purpose, Community purposes, Government Sponsored Schemes etc. or as defined in Appendix – IX of Part–II–Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India New Delhi dated 15 January, 2016.

c. Gram Panchayat/Local Self Government shall be responsible for supervision of sand collection from such area.

d. There shall be no transfer or subletting of the sand deposits from these Streams/Rivers.

e. The sand from these Streams/Rivers shall be free from any taxes, royalty or levy.

f. For the purpose of maintenance of the approach road, management, supervision etc. a nominal Maintenance Charge shall be levied by Gram Panchayat/Local Self Government per unit volume of sand lifted/collected/dispatched, as per the rate decided by Department of Industries, Mines and Geology, Government of Jharkhand.

g. It shall be responsibility of Gram Panchayat/Local Self Government to ensure that sand from these deposits is not used for any commercial purposes and to regulate the same, a receipt-cumdispatch challan will be issued by the Gram Panchayat/Local Self Government in the format as prescribed by the State.

h. The maintenance charge so collected shall be deposited in the account of Gram Panchayat/Local Self Government.

i. The book keeping of this account shall be maintained by Gram Panchayat/Local Self Government according to prevailing rules and guidelines of the Gram Panchayat/Local Self Government.

j. Under no circumstances the sand shall be allowed to be stored from these Streams/Rivers.

k. As mentioned in para 7-(i)-(B) of Part–II–Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016 such usage of sand shall be exempted from environmental clearance.

l. This shall be the responsibility of the Gram Panchayat/Local Self-Government to restrict sand mining in prohibited areas as directed by the Department.

m. Under no circumstances mechanized lifting of sand shall be allowed from these category of streams/rivers.

n. The Deputy Commissioner shall put in place proper administrative/enforcement mechanism to ensure no commercial/illegal extraction of sand from these orders of streams/rivers.

19. उपरोक्त शर्त्तो में संशोधन एवं किसी अन्य शर्त्तो को लगाये जाने का विशेष–अधिकार तथा किसी भी मामलें में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपायुक्त, धनबाद का रहेगा।

उपरोक्त शर्त्तो के आधार पर जिलान्तर्गत Category-I बालू घाटों से निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए बालू के उठाव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

20/4/23

उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक– 542, दिनांक– 20/4/2023

प्रतिलिपि :–

1. सभी संबंधित मुखिया/पंचायत सचिव, धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनर्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित प्रंखड समन्वयक, पंचायत स्वशासन परिषद, धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित अंचलाधिकारी, धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सहायक निदेशक, भूतत्व, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत समिति को "प्राप्ति–सह–परिचलन स्लिप" को तीन प्रति (triplicate) में आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20/4/23

उपायुक्त, धनबाद।

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त का कार्यालय (खनन शाखा), धनबाद।

पत्रांकः—...2329.../एम0, धनबाद, दिनांकः—17/08/2022

प्रेषकः—

संदीप सिंह, भा0प्र0से0
उपायुक्त, धनबाद।

सेवा में,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
धनबाद।

विषयः— अवैध बालू उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 के बावत कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंगः— कार्यालय पत्रांक 1747(A)/एम0, दिनांक 11.06.2022, 1947/एम0, दिनांक 09.07.2022 एवं जिला खनन टास्क फोर्स की कार्यवाही ज्ञापांक 1647/एम0, दिनांक 31.05.2022।

महाशय्

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि O.A. No. 120/2016/EZ Rezwan-Vs-State of Jharkhand & Ors वाद में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकता द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों द्वारा अवैध बालू उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में बालू का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण न सिर्फ खान एवं खनिज (विकास एव विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमवली, 2004 के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 के विभिन्न प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत आपके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः जिला खनन टास्क फोर्स के बावत कृत कार्रवाई की विवरणी जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद से प्राप्त करते हुए आरोपियों के विरूद्ध The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई/प्राथमिकी/शिकायतवाद दर्ज करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करेंगे।

इसे अतिआवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

17/8/22

उपायुक्त, धनबाद।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

(विधि–व्यवस्था)

–:आदेश:–

धनबाद जिलान्तर्गत वृहत एवं लघु खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन की सूचना समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होते रहती है, जिसपर शत् प्रतिशत अंकुश लगाने हेतु कार्रवाई किया जाना अतिआवश्यक है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से राजस्व की ह्रास के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है। समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा राज्यन्तर्गत अवस्थित नदियों से अवैध बालू उठाव, पारिस्थिकी संवेदी जोन (ESZ) सहित जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में अवैध पत्थर उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में निम्न निदेश दिये जाते है:–

1. वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद द्वारा तत्काल प्रभाव से जिला नियंत्रण कक्ष में 1/6 की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया जायेगा। यह बल स्थायी रूप में अवैध खनन, परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु जिला नियत्रंण कक्ष में उपलब्ध रहेंगे। (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद, (2) जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद, (3) जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद, (4) क्षेत्रीय पदधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद एवं अन्य प्राधिकृत द्वारा जिले में बालू/पत्थर एवं अन्य खनिजों के अवैध खनन/परिवहन/भंडारण (क्रशर) के विरूद्ध जिला नियंत्रण कक्ष में तैनात पुलिस बल प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु किसी पुर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
2. खनिजों के अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण पर रोकथाम हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 संशोधित 2007 के नियम–54 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 11(i) के तहत राज्य सरकार द्वारा सक्षम पदाधिकारी घोषित है तथा मुख्य सचिव के पत्रांक 1273/एम0, दिनांक 28.07.2010 द्वारा अनुमण्डल स्तर पर चल रहे अवैध उत्खनन, परिवहन, उपभोग इत्यादि की रोकथाम की पूरी जिम्मेवारी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की है। अतएव उक्त के आलोक में अनुमण्डल स्तर पर अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण (क्रशर) पर रोकथाम हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी/संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सहायक वन संरक्षक/वन क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा अवैध कोयला, बालू, पत्थर आदि के उत्खनन/भंडारण (क्रशर) स्थल/परिवहन कार्य को चिन्हित करते हुए नियमानुसार अवैध खनिकर्म वं परिवहन में संलिप्त औजार/वाहन/मशीनरी एवं खनिजों को जप्त कर अवैध खननकर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी उक्त अनुमण्डल क्षेत्र में खनिजों के अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण (क्रशर) के लिए जवाबदेह होंगे। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण (क्रशर) के लिए वन विभाग के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी (ACF)/वन परिसर पदाधिकारी जबावदेह होंगे।

8

3. अंचल स्तर पर अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण (क्रशर) पर रोकथाम हेतु संबंधित अंचलाधिकारी झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 संशोधित 2007 के नियम–54 के तहत एवं उपायुक्त, धनबाद के आदेश ज्ञापांक 1797/खनन, दिनांक 14.08.2021 द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 11(i) के तहत सक्षम पदाधिकारी घोषित है। उक्त के आलोक में संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उक्त अंचल/थानान्तर्गत कोयला, बालू, पत्थर आदि के अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण (क्रशर) को चिन्हित कर नियमानुसार अवैध खनिकर्म में संलिप्त औजार/मशीनरी उपकरण/वाहन एवं खनिजों को जप्त कर अवैधकर्त्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी व वन क्षेत्र के लिए वन विभाग के क्षेत्रीय वन पदाधिकारी किसी भी तरह की अवैध खनन हेतु जबावदेह होंगे। थाना प्रभारी संबंधित अंचलाधिकारी को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त अनुदेशों का पालन दृढ़तापूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे।

9/6/24
वरीय पुलिस अधीक्षक,
धनबाद।

09.6.2024
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 1078 /वि0–व्य0 धनबाद, दिनांक 14/6/2024

प्रतिलिपिः–1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद/वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वन क्षेत्र एवं पारिस्थिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

2. अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद/क्षेत्रीय पदधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, धनबाद/सभी पुलिस उपाधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी अंचलाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 1078 /वि0–व्य0 धनबाद, दिनांक 14/6/2024

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में 1/6 की संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त करते हुए सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, धनबाद, सभी थाना प्रभारी, जिला–धनबाद को इस संबंध में निदेशित करने की कृपा की जाय।

09.6.2024
उपायुक्त, धनबाद।

Annexure C

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

(विधि–व्यवस्था)

– :संयुक्त आदेशः –

माननीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा O.A.No. 120/2016/EZ में पारित न्यायादेश के अनुपालन में तथा Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के प्रावधानों अनुसार झारखण्ड राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान (10 जून से 15 अक्टूबर तक) प्रतिवर्ष नदियों से बालू का उठाव प्रतिबंधित है। अतएव धनबाद जिला के विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू का उठाव एवं प्रेषण पर प्रभावी अंकुश लगाना अति–आवश्यक है। अवैध रूप से बालू खनन एवं प्रेषण करना सरकारी सम्पति की चोरी है, जिससे राजस्व की क्षति एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है।

खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम हेतु सचिव खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 961/एम0, दिनांक 06.06.2024 द्वारा भी निदेश प्राप्त है, जिसके अनुपालन में आलोक में जिलान्तर्गत बालू सहित सभी खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम लगाया जाना है।

धनबाद जिले के विभिन्न नदियों से बालू का अवैध उत्खनन कर सड़क मार्ग के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर बिक्री हेतु लाया जाता है, जिसके रोकथाम हेतु अस्थायी चेकपोस्ट निर्माण करने का निर्णय लिया जाता है। जिले के निम्नलिखित स्थानों पर अस्थायी चेक–पोस्ट का निर्माण करते हुए पालियों में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है :–

क्र0 सं0	अस्थायी चेक–पोस्ट का स्थान	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल
1	तेलमच्चो ब्रीज के समीप, थाना–महुदा, अंचल–बाघमारा।	(A) श्री रघुवंश कुमार भारती, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बाघमारा। मो0–9123132810	पु0अ0नि0 प्रदीप कुमार, महुदा थाना मो0नं0–8521862177	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(B) श्री अशोक पाल, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कतरास। मो0–9955382339	पु0अ0नि0 उपेन्द्र कुमार यादव, मधुबन थाना–9973993047	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(C) श्री अहमद हुसैन, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बाघमारा। मो0–9955948092	पु0अ0नि0 सिरिश चन्द महतो, मधुबन थाना–9334809286	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(D) श्री अजीत सिंह, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तोपचॉची। मो0–8603204308	पु0अ0नि0 विपिन टोप्पो, सोनारडीह ओ0पी0–9123177508	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
2	महुदा ओवर ब्रिज के समीप, थाना–महुदा, अंचल–बाघमरा।	(A) श्री सहदेव महतो, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, तोपचॉची। मो0–9955397532	पु0अ0नि0 मो0 तारीक वसमी, महिला थाना, बाघमारा मो0नं0–8210706521	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(B) श्री बिनोद प्रसाद मोदी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, तोपचॉची। मो0–9955190174	पु0अ0नि0 विष्णु प्रासद, महिला थाना, बाघमारा मो0नं0–8651049961	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।

82

		(C) श्री बब[illegible], कनीय अभियंता, ग्रमीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद। मो0–9835797251	पु0अ0नि0 मदन लाल यादव, महिला थाना, बाघमारा–7970732736	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(D) श्री मनोज दास, कनीय अभियंता, लघु सिचांई प्रमण्डल, धनबाद। मो0–840920567	पु0अ0नि0 जोन संजय सुण्डी, धर्माबॉध ओ0पी0–7903250239	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
3	राजगंज पुल के समीप, थाना–राजगंज अंचल–बाघमारा।	(A) श्री विद्या सागर, कनीय अभियंता, ग्रमीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, धनबाद। मो0–9631354368	पु0अ0नि0 रंजीत कुमार, राजगंज थाना–7870666302	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(B) श्री सुनिल कुमार, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, धनबाद। मो0–9162578055	पु0अ0नि0 धर्मदेव कुमार गुप्ता, राजगंज थाना–9097133413	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(C) श्री नशीम अखतर, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल, धनबाद। मो0–8709555168	पु0अ0नि0 अंशु कुमार, राजगंज थाना–6200498241	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(D) श्री अरशद हुसैन, सहायक अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, धनबाद।मो0–7488642905	पु0अ0नि0 विकास कुमार सिंह, राजगंज थाना–6201743812	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
4	साहेबगंज रोड, पोखरिया, थाना–पूर्वी टुण्डी, अंचल–पूर्वी टुण्डी।	(A) श्री मूरत महतो, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बाघमारा। मो0–9431925061	पु0अ0नि0 पगान मुर्मू, पूर्वी टुण्डी थाना–6207686693	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(B) श्री ओम प्रकाश दास, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, टुण्डी। मो0–9431950037	पु0अ0नि0 राजेश कुमार लोहरा, पूर्वी टुण्डी थाना–8409090396	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(C) श्री राजीव रंजन, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पूर्वी टुण्डी। मो0–9608085855	पु0अ0नि0 राधे बाड़ा, पूर्वी टुण्डी थाना–9905305896	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(D) श्री मुकेश कुमार, सहायक अभियंता, ग्रमीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद। मो0–8210062632	पु0अ0नि0 अमृत खलखो, गोविन्दपुर थाना–9798617492	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
5	गुण्डवा चौक, थाना–निरसा, अंचल–पूर्वी टुण्डी।	(A) श्री सकील अंसारी, कनीय अभियंता, धनबाद नगर निगम धनबाद। मो0–7004879095	पु0अ0नि0 विश्जीत ठाकुर, निरसा थाना–8789354082	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(B) श्री सुरजमल किडो, सहायक कृषि पदाधिकारी, धनबाद। मो0–8340526228	पु0अ0नि0 रंजीत कुमार उरॉव, निरसा थाना–6207537237	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(C) श्री सत्यम कुमार भारद्वाज, अंचल निरीक्षक, गोविन्दपुर। मो0–7004214190	पु0अ0नि0 दिलीप कुमार पासवान, निरसा थाना–8789949391	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(D) मो0 हाफिज अंसारी, कनीय अभियंता, लघु सिचांई प्रमण्डल, धनबाद। मो0–8340426952	पु0अ0नि0 अविनाश कुमार, निरसा थाना–7004965628	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
6	चिरकुण्डा 3 नं0 चढ़ाई, थाना–चिरकुण्डा,	(A) श्री स्वपन कुमार मंडल, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, धनबाद। मो0–7903959168	पु0अ0नि0 लालजीत उरॉव, चिरकुण्डा थाना–8789746834	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।

	अंचल–एग्यारकुण्ड।	(B) श्री अनुज तेते, अंचल निरीक्षक, निरसा। मो0–9472771720	पु0अ0नि0 अर्जुन कुमार सिंह, चिरकुण्डा थाना–9939988886	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(C) श्री सावना मिंज, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, धनबाद। मो0–9973865481	पु0अ0नि0 रोहित कुमार वर्मा, चिरकुण्डा थाना–7004148965	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(D) श्री अशोक कुमार, प्राक्कलक पदाधिकारी, लघु सिचांई प्रमण्डल, धनबाद। मो0–9934366274	पु0अ0नि0 शशि प्रकाश, चिरकुण्डा थाना–8249978258	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
7	पतलाबारी चौक, पंचेत ओ0पी0, अंचल–एग्यारकुण्ड।	(A) श्री संदीप कुमार, सहायक अभियंता, लघु सिचांई प्रमण्डल, धनबाद। मो0–9934321149	पु0अ0नि0 सामुएल लकड़ा, पंचेत ओ0पी0–9771583213	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(B) श्री अरुण कुमार दास, बाजार पर्यवेक्षक, कृषि उत्पादन बाजार समिति। मो0–8987696500	पु0अ0नि0 रितेश कुमार मिश्रा, पंचेत ओ0पी0–9431177748	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(C) श्री पवन कुमार वर्मा, कनीय अभियंत, ग्रमीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद। मो0–8210432708	पु0अ0नि0 विजय कुमार सिंह यादव, कालूबथान ओ0पी0–9430105051	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(D) श्री रौशन कुमार, कीनय अभियंता, ग्रमीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, धनबाद। मो0–7091576957	पु0अ0नि0 पवन कुमार रवि, कुमारधुबी ओ0पी0–9709213805	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
8	जोरापोखर थाना के समीप, थाना–जोरापोखर, अंचल–झरिया।	(A) श्री कार्तिक उरॉव, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, धनबाद। मो0–7209368339	पु0अ0नि0 सुधांशु कुमार, जोरापोखर थाना–9304960567	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(B) श्री सुनिल कुमार रविदास, कनीय अभियंता, ग्रमीण विकाश विशेष प्रमण्डल, धनबाद। मो0–830792152	पु0अ0नि0 अमित कुमार, जोरापोखर थाना–8083856473	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(C) श्री अनिल कुमार, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद। मो0–9431123381	पु0अ0नि0 अनुप कुमार, जोरापोखर थाना–9304631992	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(D) श्री संतन कुमार रजक, सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद। मो0–9534061164	पु0अ0नि0 संतन कुमार यादव, जोरापोखर थाना–8083835109	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
9	सुदामडीह रेलवे फाटक के समीप, थाना–सुदामडीह, अंचल–झरिया।	(A) श्री विजय मण्डल, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, धनबाद। मो0–9631697161 / 9931508523	पु0अ0नि0 अक्षय कुमार सिंह, सुदामडीह थाना–9123200036	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(B) श्री मुकेश कुमार, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, धनबाद। मो0–8709502551	पु0अ0नि0 अशोक कुजूर, सुदामडीह थाना–7979886702	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।
		(C) श्री रामाकांत कुमार, सहायक अभियंता, लघु सिचांई प्रमण्डल, धनबाद। मो0–7004595537	पु0अ0नि0 मो0 अफरोज, सुदामडीह थाना–6200585793	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।

		(D) श्री मनोज कुमार, सहायक अभियंता, नगर निगम, धनबाद। मो0–9006923481	पु0अ0नि0 सुकरा कच्छप, सुदामडीह थाना–9709309848	1–3 सशस्त्र बल पु0के0, धनबाद।

रोस्टर : –

दिवस	4:00 PM to 11:00 PM	11:00 PM to 6:00 AM
सोमवार	A	B
मंगलवार	C	D
बुधवार	B	A
गुरूवार	D	C
शुक्रवार	A	B
शनिवार	C	D
रविवार	B	A

अस्थायी चेक पोस्ट की स्थापना/निर्माण संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी। प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बलों के साथ पालीवार 4:00 PM से 11:00 PM एवं 11:00 PM से 6:00 AM क्रमवार अपने निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर अवैध बालू परिवहन में संलिप्त प्रत्येक वाहन की जाँच करेंगे।

जाँच के दौरान वाहनों पर वैध ई–परिवहन चालान नहीं पाये जाने पर उन्हें खनिज सहित पकड़कर संबंधित थाना प्रभारी को दूरभाष से सूचित करते हुए खनिज लदे वाहनों को चेकनाका स्थल पर ही सुपुर्द करेगे एवं संबंधित थाना प्रभारी विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए वाहन को जप्त कर माननीय सर्वोच्य न्यायालय, भारत द्वारा Criminal Appl No. 499 of 2011, State of NCT of Delhi vrs. Sanjay में पारित न्यायादेश दिनांक 04.09.2014 के अनुपालन में बालू खनिज लदे वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इस संदर्भ में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 54 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 11 के उप नियम (i) के खण्ड (vii) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1797/खनन, दिनांक 14.08.2021 द्वारा अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों पर कार्रवाई हेतु जिले के सभी अंचल अधिकारी को अपने–अपने क्षेत्रन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है। संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी आपसी समन्वय स्थापित कर अस्थायी चेक पोस्ट पर पकड़े गये वाहनों के विरूद्ध एकल अथवा संयुक्त रूप से प्राथमिकी दर्ज करेगे।

अंचल अधिकारी अपने अंचलन्तर्गत अवस्थित चेकनाका के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा उनपर समुचित निगरानी रखने का दायित्व उनका होगा। किसी भी तरह का कोई अनियमितता एवं लापरवाही प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किये जाने का मामला संज्ञान में आता है, तो इस संदर्भ में शीघ्र इसकी सूचना उपायुक्त/वरीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेगे। जिस थाना क्षेत्र में अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित/संचालित है, संबंधित थाना प्रभारी उसपर आवश्यक निगरानी रखेंगे, तथा चेकपोस्ट में किसी भी तरह की अनियमितता न हो एवं विधि–व्यवस्था बनी रहे, यह दायित्व उनका रहेगा। संबंधित अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी अस्थायी चेक–पोस्ट स्थापित एवं संचालन करने हेतु आवश्यक सुविधा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी को मुहैया करायेगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी प्रतिदिन जाँच किये गये वाहनों की सूची एवं अवैध वाहनों पर की गई कार्रवाई एक पंजी में संधारित करेंगे तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन संबंधित अंचल अधिकारी को उपलब्ध करायेगे। संबंधित अंचल अधिकारी प्रतिदिन उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति उपायुक्त, धनबाद एवं जिला खनन कार्यालय, धनबाद को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल उपायुक्त, धनबाद के पुर्वानुमति के बिना चेक पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। अति आवश्यकता पड़ने पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी संबंधित अंचल अधिकारी से तथा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल संबंधित थाना प्रभारी/परिचारी प्रवर से अनुमति प्राप्त कर ही अनुपस्थित होगे। संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, परिचारी प्रवर उनके स्थान पर तत्काल अन्य दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए इसकी सूचना सभी संबंधित को उपलब्ध कराते हुए उपायुक्त, धनबाद एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को उपलब्ध करायेंगे। परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, धनबाद को निर्देश दिया जाता है कि पुलिस केन्द्र से ससमय पुलिस बल की प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक अपने क्षेत्रन्तर्गत यह सुनिश्चित करेंगे कि बालू लदे वाहन के वाहन चालक/अवैधकर्त्ता किसी भी परिस्थिति में वैकल्पिक मार्ग से अवैध रूप से खनिजों का परिवहन नहीं कर पायें एवं अपने स्तर से भी अस्थायी चेक पोस्ट का समय–समय पर आवश्यक जाँच करेगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद, जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, धनबाद, पुलिस कंट्रोल रूम अथवा पुलिस लाईन सें उपलब्ध पुलिस बल के साथ जिले में अवस्थित अस्थयी चेक–पोस्ट का समय–समय पर औचक निरीक्षण करेंगे।

यह आदेश दिनांक 18-06-2024 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

Ac 10.6.24
वरीय पुलिस अधीक्षक,
धनबाद।

माधवी मिश्रा 10.6.2024
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 1079 / वि0–व्य0, धनबाद, दिनांक 14/6/2024

प्रतिलिपिः– सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को पत्र का तामिला कराते हुए दिनांक 17/06/2024 से अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित कराते हुए उसका संचालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिपिलिः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद, जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद, अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी पुलिस उपाधीक्षक, जिला–धनबाद, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ac 10.6.24
वरीय पुलिस अधीक्षक,
धनबाद।

माधवी मिश्रा 10.6.2024
उपायुक्त, धनबाद।